बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 27 मई, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आगामी 01 जून, 2024 को सातवें चरण में पड़ने वाले 08 (आठ) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की तिथि नियत है। तदनुसार सातवें चरण में दिनांक 01 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम–अ0जा0, काराकाट तथा जहानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियाँ पूरी की जा रही है। ज्ञातव्य है कि इसी सातवें चरण के चुनाव की तिथि 01 जून को अगिआँव–अ0जा0 विधान सभा उप चुनाव भी सम्पन्न होगा।

प्राप्त सूचनानुसार प्रत्येक चरण की तरह सातवें चरण के लिए भी इसमें शामिल पदाधिकारी/कर्मी को सेंसेटाइज करने के लिए आज दिनांक 27.05.2024 को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री आनन्द शर्मा की अध्यक्षता में लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के आगामी सातवें चरण से संबंधित सभी जिलों के स्वीप नोडल पदाधिकारियों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिये समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि मतदान से पूर्व अंतिम एक (01) सप्ताह मतदाताओं से सम्पर्क स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिसमें हाउस–टू–हाउस/डोर–टू–डोर/हर घर दस्तक/नॉक द डोर जैसे अभियान के तहत पर्सनल कम्यूनिकेशन की रणनीति प्रखर रूप से अपनाई जानी है। इस संबंध में वोटर आई डी कार्ड के अंतर्गत बारह (12) वैकल्पिक दस्तावेज यथा–आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, यूनिक डिसेबिलिटी आईडेंटिटी कार्ड इत्यादि के बारे में भरपूर जानकारी प्रचारित–प्रसारित करने हेतु निदेशित किया गया है। साथ ही मतदान एवं समय का सभी माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करते हुए इस व्यवस्था में शामिल सम्पूर्ण तंत्र को सजग रखते हुए माइकिंग की भी व्यवस्था के निर्देश दिये गये। बैठक में आश्वस्त सुनिश्चित सुविधाओं यथा–पीने का पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, रैम्प, व्हील चेयर, मतदान केन्द्रों पर वोलंटियर/स्वयं सेवक इत्यादि सुनिश्चित करने के निदेश दिये गये हैं। इसके अलावा मतदाताओं के परिवहन सुविधा हेतु पिक–अप एण्ड ड्रॉप–ऑफ व्यवस्था के संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर तद्नुसार कार्यान्वयन के निदेश दिये गये।

मिली जानकारी के अनुसार आज दिनांक 27.05.2024 को लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के क्रम में 04 जून को आयोजित होने वाली मतगणना के लिए बिहार के वैसे पदाधिकारी जिनकी मतगणना के क्रम में अन्य राज्यों में मतगणना प्रेक्षक के रूप में ड्यूटी लगी है, उनका प्रशिक्षण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पन्न हुआ।

विदित हो कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के तहत भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) मामला प्रतिवेदित है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में ग्यारह (11) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं–पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत दो (02), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत छः (06) एवं सहरसा जिलांतर्गत तीन (03)। इस संदर्भ में ग्यारह (11)एफआईआर दर्ज हैं। बक्सर जिलांतर्गत निर्वाचक को प्रलोभन पहुँचाने के संदर्भ में एक (01) मामला प्रतिवेदित है।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 26.05.2024 को कुल **₹7.99300**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर–10511.78(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹19.64890**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹2.51200**(लाख) रूपये मूल्य के 52.56(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। वहीं कीमती धातुओं की बात है तो कुल **₹244.66920**(लाख) रूपये मूल्य के 3318.00(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹7.94650**(लाख) रूपये मूल्य की 1985.00 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹282.76960**(लाख) रूपये मूल्य की जब्ती प्रतिवेदित है।